<u>**2018 का विधेयक सं.27**</u>

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;"; और

(ii) परन्तुक के विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए,-

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मे किसी अतिरिक्त बच्चे पर विचार नहीं किया जायेगा;

(ख) कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं (ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 27

नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मा बच्चा, यदि कोई हो, को छोड़कर), उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को रही उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

(ग) बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो।

स्पष्टीकरण.- शब्द "दिव्यांगता" में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी।"।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के खण्ड (च) का उपबंध यह उपबंधित करता है कि यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तो वह किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित होगा। इस अधिनियम की अधिनियमिति के समय, ऐसा उपबंध करने के लिए कुछ विधिमान्य कारण रहे होंगे। वर्तमान समय में, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए और उन्हें पूर्ण रूप से मुख्य धारा में लाने के लिए, यह उपबंध हटाया जाना चाहिए। यह प्रस्तावित है कि कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (च) के अधीन निरर्हित नहीं होना चाहिए।

इस अधिनियम की धारा 19 के परंतुक के खण्ड (iv) का उपबंध यह उपबंधित करता है कि यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह किसी पंच या किसी सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित होगा। यह उपबंध दिव्यांग बच्चे के लिए कोई अपवाद उपबंधित नहीं करता। यह प्रस्तावित है कि बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय, अधिनियम की धारा 19 के परंतुक के खण्ड (iv) के अधीन निरर्हता के प्रयोजन के लिए दिव्यांग बच्चे की गणना नहीं की जानी चाहिए।

तदनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के उपबंध यथोचित रूप से संशोधित किये जाने प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं.- किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) से (ङ) XX XX XX XX XX

(च) कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;

(छ) से (ट) XX XX XX XX XX

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं है;

(ड) से (न) XX XX XX XX XX

परन्तु-

(i) से (iii) XX XX XX XX XX

(iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान हुए किसी अतिरिक्त संतान के जन्म पर खण्ड (ठ) में उल्लिखित निरर्हता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जायेगा और कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतानें हैं (ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 27 नवम्बर 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मी संतान, यदि कोई हो को छोड़कर) उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक ऐसे प्रारम्भ की तारीख को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

(v) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 27 of 2018

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

(i) for the existing clause (f), the following shall be substituted, namely:-

"(f) is suffering from any bodily or mental defect or disease rendering him incapable for work;"; and

(ii) for the existing clause (iv) of the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"(iv) for the purpose of clause (l),-

(a) the birth during the period from the date of commencement of this Act, hereinafter in this proviso referred to as the date of

such commencement, to 27th November, 1995, of an additional child shall not be taken into consideration;

(b) a person having more than two children (excluding the child if any, born during the period from the date of such commencement, to 27th November, 1995) shall not be disqualified under that clause for so long as the number of children he had on the date of commencement of this Act does not increase;

(c) while counting the total number of children a child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Explanation.- The word "disability" shall include any type of disabilities specified in or under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).".

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provision of clause (f) of section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 provides that if a person is suffering from Leprosy, he will be disqualified for contesting election as a Panch or a member. At the time of enactment of this Act, there might have been some valid reasons for making such provision. In the present time, for rehabilitating and bringing the people suffering from Leprosy fully into the mainstream, this provision should be deleted. It is proposed that a person suffering from Leprosy should not be disqualified under clause (f) of section 19 of the Act.

The provision of clause (iv) of proviso to section 19 of the Act provides that if a person has more than two children, he will be disqualified for contesting election as a Panch or a member. This provision does not provide for any exception for a disabled child. It is proposed that while counting the total number of children the child, having disability, should not be counted for the purpose of disqualification under clause (iv) of proviso to section 19 of the Act.

Accordingly, the provisions of section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 are proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ ACT, 1994
(Act No. 13 of 1994)

XX XX XX XX XX XX XX

19. Qualifications for election as a Panch or a member.- Every person registered as a voter in the list of voters of a Panchayati Raj Institution shall be qualified for election as a Panch or, as the case may be, a member of such Panchayati Raj Institution unless such person-

(a) to (e) xx xx xx xx xx xx xx

(f) is a leper or is suffering from any other bodily or mental defect or disease rendering him incapable for work;

(g) to (k) xx xx xx xx xx xx xx

(l) has more than two children;

(m) to (t) xx xx xx xx xx xx xx

Provided that-

(i) to (iii) xx xx xx xx xx xx xx

(iv) the birth during the period from the date of commencement of this Act, hereinafter in this proviso referred to as the date of such commencement , to 27th November, 1995, of an additional child shall not be taken into consideration for the purpose of the disqualification mentioned in clause (1) and a person having more than two children (excluding the child, if any, born during the period from the date of such commencement to 27th November, 1995) shall not be disqualified under that clause for so long as the number of children he had on the date of commencement of this Act does not increase;

(v) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

<u>**2018 का विधेयक सं. 27**</u>

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,

सचिव।

(राजेन्द्र राठौड़, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 27 of 2018

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(Rajendra Rathore**, Minister-Incharge**)